न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, सीकर।

अपील संख्या-83/2014

दुलीचन्द पुत्र भूराराम जाति जाट निवासी मोरडूंगा तहसील धोद जिला सीकर।

---अपीलान्ट---

---बनाम---

1- गोपीराम पुत्र धन्नाराम जाति जाट निवासी ग्राम सुदराशान तहसील डीडवाना जिला नागौर ।

2- मदनलाल पुत्र

3- चौखाराम पुत्र

5=कानाराम पुत्र

6- बरजी बेवा

भूराराम जाति जाट निवासी ग्राम मोरडूंगा तहसील धोद जिला सीकर ।

सत्यमेव जयते

---रेस्पोडेन्टस---

Web Copy Not Official

अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 7-1-2013 द्वारा उप खण्ड अधिकारी, सीकर ।

----0----

उपस्थिति-

1-श्री भागीरथमल जाखड़ एडवोकेट- अपीलान्ट

2-श्री राजेन्द्रकुमार शर्मा एडवोकेट- रेस्पोडेन्ट

निर्णय दिनांक- 18.7.2018

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट सं0-1 ने अदालत मातहत में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा-251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश कर निवेदन किया कि ग्राम मोरडूंगा के आराजी खसरा नं0 239 रकबा 3.18 हैक्टर का खातेदार काश्तकार हूँ तथा इस आराजी में न्याय रास्ता लेने का हकदार हूँ। आराजी ख0नं0 664/252 की हथियारी सींव के सहारे

सहारे अपनी खातेदारी भूमि ख0नं0 239 में प्रवेश करेगा ।ख0नं0 664/252 की खातेदारी दुलीचन्द, मदनलाल, चौखाराम, कानाराम पुत्रगण भूराराम, बरजी बेवा भूराराम जाति जाट निवासी मोरडूंगा है । विवादित आराजी के पुराने खसरा नं0 ।2। व ।3। है । जिनके नये ख0नं0 239 व 252 बने हैं। बंटवारे मे खसरा न0 239 प्रार्थी के हिस्से में तथा ख0नं0 252 अप्रार्थीगण के हिस्से में आया है ।उक्त आराजी पक्षकारों की पैतृक है ।प्रार्थी को अपने खेत में ऊँट गाडी, जीप ट्रेक्टर लाने व ले जाने के लिये 20 फीट चौडे रास्ते की आवश्यकता है। अदालत मातहत ने प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर चाहा गया रास्ता दर्ज करने के आदेश दिये । इस आदेश से क्षुब्ध होकर अपीलान्ट ने यह अपील निम्न आधारो पर पेश की ।

योग्य अदालत मातहत का निर्णय खिलाफ कानून एवं पत्रावली है रेस्पोडेन्ट सं0-। का खेत ख0नं0 239 रकबा 3.18 हैक्टर की खातेदारी ।/2 हिस्सा रेस्पोडेन्ट संख्या-। के नाम तथा ।/2 हिस्सा की खातेदारी अन्य खातेदारों के नाम से है। जिनको आवेदन में पक्षकार नहीं बनाया । अदालत मातहत में पत्रावली अनावेदक/अपीलान्ट की तलबी हेतु दिनांक 8-10-2012 में नियत थी । इस दिनांक को अनावेदकगण की तलबी हुई अथवा नहीं । इस बाबत कोई आदेश नहीं हुआ । इसके बाद दिनांक 4-।-2013 वास्ते तलबी हेतु नियत की गई । दिनांक 4-।-2013 की आदेशिका को गायब कर योग्य अदालत मातहत ने दिनांक 7-।-2013 को निर्णय पारित कर दिया । जबकि कानूनन किसी भी दावे अथवा प्रार्थना पत्र में निर्णय करनेसेपूर्व प्रतिवादीगण अनावेदकगण की तामिल करवाई जाकर ही आदेश पारित किया जाना चाहिये तामिल होने के बाद ही सुनवाई का अवसर देकर साक्ष्य सबूत लेते हुये आदेश पारित किया जाना चाहिये ।किन्तु प्रस्तुत प्रकरण में अदालत मातहत ने अपीलांट अनावेदकगण की कोई तामिल नहीं करवाकर एकतरफा आदेश पारित किया है तहसीलदार से मौके की रिपोर्ट कब मंगवाई कोई आदेश नहीं है तथा मौका रिपोर्ट पर किसी भी पक्षकार के हस्ताक्षर नहीं है। मौका रिपोर्ट मे रास्ता वर्तमान में चालु नहीं बताया है ।इस तथ्य पर भी कोई गौर न कर अदालत

मातहत ने अपना निर्णय पारित किया है जिसमें किसी भी विधिक प्रक्रिया की कोई पालना नहीं की गई ।अपीलान्ट को आवेदन की कोई सूचना नही दी गई जिससे उक्त आदेश की जानकारी पूर्व मे नहीं रही दिनांक 5-6-2014 को अपीलान्ट अपने खेत की नींव सींव ठीक कर रहा था तो रेस्पोडेन्ट संख्या-। ने अपीलान्ट को यह धमकी दी कि वादग्रस्त आराजी मे मैने कटानी रास्ता दर्ज करवा लिया है अब इस रास्ते मे आप कुछ नही कर सकते । इस प्रकार रेस्पोडेन्ट स0-। द्वारा धमकी देने पर उक्त निर्णय की नकल के लिये प्रार्थना पत्र दिनांक 3-6-2014 को पेश किया जिस पर नकल दिनांक 12-6-2014 को प्राप्त हुई । जिस पर यह अपील जानकारी से अन्दर मियाद पेश है ।अतः अपील अन्दर मियाद शुमार कर अपील स्वीकार कर अदालत मातहत का निर्णय निरस्त किया जावे ।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई ।रेस्पोडन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया । अदालत मातहत की पत्रावली मंगाई जाकर शामिल पत्रावली की गई । बहस विद्वान अभिभाषकगण सुनी गई ।

अपीलाधीन आदेश के विरूद्ध एक अपील संख्या-9/2016 उनवान मदनलाल बनाम गोपीराम आदि पेश की गई । उक्त दोनों अपीलो की वकील उभयपक्षों ने एक साथ बहस की । विद्वान वकील अपीलान्ट ने बहस में अदालत मातहत में बिना विधिक प्रक्रिया को अपनाये, अपीलान्ट को बिना नोटिस दिये आदेश पारित किया है। अतः अपीलान्ट की अपील स्वीकार कर अदालत मातहत के निर्णय को निरस्त करने का निवेदन किया ।

विद्वान वकील रेस्पोडेन्ट ने बहस में कथन किया कि अदालत मातहत का आदेश उचित एवं विधिक है । अपीलान्ट को नोटिस जारी किये गये है । इनके मौजूद नहीं मिलने पर नोटिस की एक प्रति इनके खुल्ले मकान पर चस्पा की गई है ।अदालत मातहत ने सभी प्रक्रियाओं की पालना कर तहसीलदार से मौके की रिपोर्ट आने पर आदेश पारित किया है ।अपीलान्ट ने यह अपील विधि के विरूद्ध हमे हैरान व परेशान करने की नियत से पेश की है । अपील खारिज की जावे ।

बहैस बगौर समाहत की गई ।पत्रावली का अवलोकन किया गया । राजस्व रेकार्ड का अवलोकन किया गया । विवादित आराजी की खातेदारी का कोई विवाद नहीं । प्रकरण में सबसे पहले देखने वाली बात यह है कि अदालत मातहत ने आदेशिका दिनांक 7-9-2012 को अनावेदकगण के नोटिस जारी करने के आदेश पारित किये। इसके बाद अनावेदक के नोटिस तामिल होकर अथवा बिना तामिल प्राप्त हुये हो ऐसा कोई आदेश पारित नहीं किया । तथा दिनांक 24-12-2012 को आगामी पेशी 4-1-2013 नियत की गई किन्तु पत्रावली में आदेशिका दिनांक 4-1-2013 की आदेशिका ही नहीं लिखी गई बिना नियत तारीख पेशी के अदालत मातहत ने केवल आवेदक की बहस सुनकर ही बिना नियत तारीख पेशी के दिनांक 7-1-2013 को आदेश पारित कर दिया ।जिसमें अपीलान्ट को सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया ।अपीलान्ट ने यह अपील मियाद बाहर पेश की है किन्तु अपीलान्ट को अदालत मातहत में कोई सूचना नहीं होने पर अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र दफा-5 अवधि अधिनियम स्वीकार कर अपील को अन्दर मियाद शुमार की जाती है । तथा प्रकरण में अपीलान्ट को बिना सुनवाई एवं बिना विधिक प्रक्रिया के आदेश पारित किया है जिसमें अदालत मातहत ने बिना नियत तारीख पेशी के आदेश पारित किया जिसमें एक तारीख पेशी दिनांक 4-1-2013 की तो आदेशिका ही गायब है जो न्याय शास्त्र के सिद्धान्त के अनुसार किसी भी प्रकार से उचित नहीं है । तथा अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर नहीं दिये जाने से हम न्याय हित में उक्त दोनो अपीलो को अदालत मातहत को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाना उचित मानते हैं कि वह प्रकरण में पक्षकारों को सुनवाई एवं साक्ष्य सबूत का अवसर देते हुये अपना निर्णय पुनः पारित करें ।

अतः उपरोक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा अदालत उप खण्ड अधिकारी सीकर का निर्णय दिनांक 7-1-2013 को खारिज किया जाता है तथा प्रकरण अदालत मातहत को इस

निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि वह पक्षकारो को सुनवाई एवं साक्ष्य सबुत पेश करने का अवसर देते हुये अपना निर्णय पुनः पारित करें । इसी अनुसार अपील संख्या- 9/2016 उनवानी मदनलाल बनाम गोपीराम आदि को भी निर्णित किया जाता है । पक्षकार अदालत मातहत में दिनांक 24-8-2018 को उपस्थित होवें ।

निर्णय सरे इजलास आज दिनांक 18.7.2018 को सुनाया गया।

18/7/18

(भंवरलाल मेहरड़ा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
सीकर